उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
धिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
बरः—236/2018 प्रार्थना पत्र
ह पिता गणपत सिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
—————प्रार्थी

बनाम

िंह पिता रामसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
सिंह पिता भोपालसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
सिंह पिता भोपालसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
सिंह पिता भोपालसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
ह पिता सवाईसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
ंह पिता सवाईसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
सिंह पिता भैरूसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
सिंह पिता भैरूसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
ंह पिता भैरूसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा
यणसिंह पिता बहादुरसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी आंबाखेड़ी तहसील व जिला
ा (राजस्थान)
राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
——————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः—6.5.2019

:: नि र्ण य ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व 56 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आंबाखेड़ी पटवार ी तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 306/1 रकबा 6 बीघा 10 र्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद हते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी गढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये श प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.9.2018 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 11 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त मिल पत्रावली किये गये । विपक्षी संख्या 2 से 11 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे े उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 8.4.2019 को एक तरफा कार्यवाही आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण 9 को जवाब बंद किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा ी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे जियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते बत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे जियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में
ी के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के
ार किया जाकर ग्राम आंबाखेड़ी पटवार हल्का तिलोली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित
ी नम्बर 306/1 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये
आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को
ये (सात सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस
पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में
ी जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner